"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-180/2007/वाक/पांच (46).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट अनुक्रमांक 8 के अधीन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/180/2007/वाक/पांच (46) दिनांक 10-12-2007 को एतद्द्वारा निरसित करती है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ-10-180/2007/वाक/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-180/2007/वाक/पांच (46), दिनांक 07-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 7th September 2011

NOTIFICATION

No. F-10-180/2007/CT/V(46).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, the State Government hereby rescinds the notification No. F-10/180/2007/CT/V(46) dated 10-12-2007 issued earlier under S. No. 8 of Schedule-III under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

2. This notification shall come into force with effect from the date of publiction in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.